न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
195/24	25.04.2018	19.02.2025

उनवान

1. रामहेत सिंह यादव पुत्र श्री छुट्टनलाल यादव नि0 50 कृषि उपज मण्डी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राज0। :–वादी

बनाम

1. असपीना पुत्र फजरू खां
2. असमीना पुत्री फजरू खां
3. आस मोहम्मद पुत्र फजरू खां
4. इन्नस खां पुत्र नजीर खां
5. इरफान पुत्र फजरू खां
6. दीन मोहम्मद पुत्र फजरू खां
7. बस्सर पत्नि नजीर खां
8. मकूली पत्नि फजरू खां
9. मुनफीद पुत्र फजरू खां
10. रूकसीना पुत्री फजरू खां
11. रसमीना पुत्री फजरू खां
12. रहमान खां पुत्र चन्दर
13. वईनम पुत्री फजरू खान
14. सहाबूदीन पुत्र नजीर खां
15. हुसैन खां पुत्र चन्दर खां जाति मेव निवासीयान भूरपहाडी किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0।
16. भूमिधारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 53,188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थितिः– 1.वादी की ओर से श्री सुधीर कुमार गुप्ता वकील।
2.प्रतिवादी सं0 12की ओर से श्री तैय्यब खान वकील
3.प्रतिवादी सं0 15 की ओर से श्री बालकृष्ण वकील।

निर्णय दिनांक :– 19.02.2025

आज पत्रावली पेश हुई। दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है :– वादी ने वाद पेश किया कि आराजी हाल खसरा नं0 571 रकबा 0.0600हे0, 598 रकबा 0.45हे0, 599 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

0.52हे0, 608 रकबा 1.86हे0, किता 4 रकबा 2.89हे0 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 मे स्थित हैं जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेंगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2073–2076 संलग्न वादपत्र है।

आराजी हाल खसरा नं0 571 रकबा 0.0600हे0, 598 रकबा 0.45हे0, 599 रकबा 0.52हे0, 608 रकबा 1.86हे0, किता 4 रकबा 2.89हे0 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 मे स्थित है जिसमें मिन वादी का 5/48 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी है जो संलग्न वादपत्र है।

मिन वादी द्वारा उक्त आराजी को जर्ये बयनामा दिनांक 04.01.2024 को पूर्व खातेदार रियासत पुत्र नजीर खां व तैय्यब खां पुत्र नजीर खां जाति मेव नि0 भूरपहाडी, किशनगढबास से खरीद किया था पूर्व खातेदार से उक्त आराजी खसरा नं0 608 में से पूर्व विक्रेता अपना हिस्सा रास्ता के खसरा नं0 571 से लगता हुआ विक्रय किया गया जो कि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 04.01.2024 में दर्ज किया है जिन बयनामजात की फोटो प्रति संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी का मिन वादी पूर्व के विक्रेतागण की तरह ही अपनी आराजी पर काबिज हूँ उसके पश्चात् हम पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर बाहमी बंटवारें के अनुसार काबिज व दखिल है। मिन वादी का हिस्सा खसरा नं0 608 मे खसरा नं0 571 जो कि गैर मुमकिन रास्ता का रिकार्ड में है उससे लगता हुआ है व शेष खसरा नम्बरान पर मिन वादी बाहमी बंटवारें के अनुसार अपने हिस्से पर काबिज व दखिल है तथा काश्त करता चला आ रहा है।

प्रतिवादीगण संख्या बल मे अधिक है जो कानून कायदों की कतई परवाह नही करते है तथा जबरदस्ती मिन वादी के हिस्से पर कब्जा करना चाहते है तथा आये रोज मिन वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है। इसलिए मिन वादी का अब प्रतिवादीगण के साथ शामलात में रहकर काश्त करना संभव नही है। इसलिए मिन वादी अपने 5/48 भाग का तकासमा खसरा नं0 608 मे ख0नं0 571 जो की गैर मु0रास्ता दर्ज है उक्त रास्ते के लगते हुआ है उसका कब्जा मिन वादी के पास है व इसी आश्य से तकासमा कराना चाहता हूँ व शेष नम्बरान पर मिन वादी अपने हिस्से पर काबिज है। जिसके लिये दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

मिन वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 10.07.2024 को तकासमा कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने तकासमा कराने से साफ इंकार कर दिया तथा मिन वादी को प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि वो तकासमा नही करायेंगें तथा वादी के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करेंगें यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब हो गये तो वादी को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा हकूक वादी पर आवरण छा जावेगा वादीगण को उसकी आराजी के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

उपयोग उपभोग से बेजा महरूम होना पड जावेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों मे नही आंकी जा सकेगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी से जब्रन वादी को बेदखल ना करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना ही विवादित आरजी में कोई किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावें:–

अ– डिक्री तकसीम आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर विवादित आराजी खसरा नं0 571 रकबा 0.0600हे0, 598 रकबा 0.45हे0, 599 रकबा 0.52हे0, 608 रकबा 1.86हे0, किता 4 रकबा 2.89हे0 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 का 5/48 भाग तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स किया जाकर वादी का हिस्सा खसरा नं0 571 गैर मुमकिन रास्ते से लगते हुए ख0नं0 608 मे से व शेष खसरा नम्बरान में वादीगण के कब्जे के अनुसार अलग से कुर्रेजात कायम किया जावें तथा अलग से लगान खाता कायम किया जाकर वादी को अलग से दखल दिलाया जावें।

ब– जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वो विवादित आराजी खसरा नं0 571 रकबा 0.0600हे0, 598 रकबा 0.45हे0, 599 रकबा 0.52हे0, 608 रकबा 1.86हे0, किता 4 रकबा 2.89हे0 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 से जब्रन वादी को बेदखल ना करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन,बैय,हिबा,लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

स– खर्चा हर्जा मुकदमा का वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

द– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादी बख्सी जावें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11, 13,14,16 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये। शेष प्रतिवादी सं0 15 ने जवाब पेश किया कि विवादित अराजी के मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक एवं हर खसरा नम्बर में से अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी दी जाकर तकासमा किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं0 12 द्वारा जवाब पेश किया कि विवादित आराजी का बहामी बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार ही कुर्रेजात कायम कराने के आदेश दिये जावें तथा कब्जे के आधार पर तकासमे के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी कराई जावे। उभय पक्षकारान की सहमति अनुसार मौके पर कब्जे काश्त अनुसार कुर्रे

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

कायम कराने हेतु प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.12.2024 को जारी की गई तथा तहसीलदार किशनगढबास ने पक्षकारान को जर्ये नोटिस सूचित किया जाकर मुताबिक आदेश कुर्रे कायम कर भिजवाई गई। कुर्रे कायम प्राप्त होने पर वकील वादी ने हाजिर अदालत होकर बहस हेतु निवेदन किया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रारम्भिक डिक्री के संबंध में उभयपक्षकारान द्वारा सहमति पूर्व में दर्ज करायी जा चुकी है इस बाबत् आदेशिका दिनांक 09.12.2024 पर वकील उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर मौजूद है। दौराने बहस किसी पक्षकार द्वारा कुर्रे कायमी पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। अतः कब्जे के संबंध में पक्षकारान के बीच कोई विवाद दृष्टिगत नही होता है तथा कुर्रे रिपोर्ट में कब्जे को लेकर सहमति प्रतीत होती है। प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट एवं नक्शे पर पटवारी, आईएलआर एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद है। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शे में सभी पक्षकारान के मध्य आराजी को समानुपातिक रूप से विभाजित किया हुआ दर्शाया गया है। किसी भी पक्षकार को आराजी में हिस्से से वंचित नही रखा गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के दौरान पक्षकारान के उपस्थित रहने बाबत् तहसीलदार किशनगढबास द्वारा सूचना नोटिस दिये गये है जो संलग्न विभाजन प्रस्ताव कर प्रस्तुत किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में सतीश यादव, इन्नस खां, आसमोहम्मद पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है। विभाजन प्रस्ताव में सभी खसरों में से पक्षकारो को हिस्सा विभाजन किया गया है तथा एक पक्षकार का हिस्सा एक साथ भी रखा गया है आराजी के अत्यधिक छोटे टुकडे नही किये जाने एवं जोतों को अनार्थिक नही किये जाने पर भी ध्यान दिया गया प्रतीत होता है। सभी पक्षकारों की सुगम पहुॅच का भी ध्यान रखा जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के अनुसार कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये है जिसके अनुसार विभाजन किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रे कायमी तहसीलदार किशनगढबास फाईनल डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

तहसीलदार किशनगढबास द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव/कुर्रे कायमी रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-

क0सं0	काश्तकार का नाम	ख0नं0	रकबा
1.	रामहेत सिंह यादव पुत्र छुट्टनलाल यादव जाति अहीर सा0देह खातेदार	608/1 598/1 किता 2	0.1937हे0 0.1010हे0 कुल 0.2947हे0
2.	रहमान खां पुत्र चन्दर जाति मेव सा0देह खातेदार राहिन आरजीबी किशनगढबास	608/5 599/3 किता 2	0.4650हे0 0.2425हे0 कुल 0.7075हे0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

3.	हुसैन खां पुत्र चन्दर जाति मेव सा0देह खातेदार राहिन हि0 6/7 एसबीबीजे कि0बास	608/4 598/3 599/1 किता 3	0.5426हे0 0.2480हे0 0.035हे0 कुल 0.8256हे0
4.	इन्नस खां, साहबुदीन पि0 नजीर खां जाती मेव सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 4/5 राहिन ओबीसी कि0बास	608/2 598/2 किता 2	0.1937हे0 0.1010हे0 कुल 0.2947हे0
5.	आसमोहम्मद, इरफान, दीनमोहम्मद, मुनफीद पि0 फजरू खां, असपीना, असमीना, रूकसीना, रसमीना, वईमन पुत्रियां फजरू खां, मकूली पत्नि स्व0 फजरू खां जाति मेव सा0देह खातेदार हि0 आसमोहम्मद, इरफानसस, दीनमोहम्मद, मकूली राहिन ओबीसी कि0बास	608/3 599/2 किता 2	0.4650हे0 0.2425हे0 0.7075हे0

आराजी ख0नं0 571 रकबा 0.06हे0 गै0मु0 रास्ता यथावत् शामिल में रहेगा।

अतः आदेश है किः—

दावा वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास अंतिम डिक्री किया जाता है तथा ओदश दिये जाते है कि तहसीलदार किशनगढबास द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव/कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा, पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल—तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
195/24	25.04.2018	19.02.2025

उनवान

1. रामहेत सिंह यादव पुत्र श्री छुट्टनलाल यादव नि0 50 कृषि उपज मण्डी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राज0। :–वादी

बनाम

1. असपीना पुत्र फजरू खां
2. असमीना पुत्री फजरू खां
3. आस मोहम्मद पुत्र फजरू खां
4. इन्नस खां पुत्र नजीर खां
5. इरफान पुत्र फजरू खां
6. दीन मोहम्मद पुत्र फजरू खां
7. बस्सर पत्नि नजीर खां
8. मकूली पत्नि फजरू खां
9. मुनफीद पुत्र फजरू खां
10. रूकसीना पुत्री फजरू खां
11. रसमीना पुत्री फजरू खां
12. रहमान खां पुत्र चन्दर
13. वईनम पुत्री फजरू खान
14. सहाबूदीन पुत्र नजीर खां
15. हुसैन खां पुत्र चन्दर खां जाति मेव निवासीयान भूरपहाडी किशनगढबास हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0।
16. भूमिधारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्मइम्तनाई दवामी
जेर दफा 53,188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थितिः– 1.वादी की ओर से श्री सुधीर कुमार गुप्ता वकील।
2.प्रतिवादी सं0 12की ओर से श्री तैय्यब खान वकील
3.प्रतिवादी सं0 15 की ओर से श्री बालकृष्ण वकील।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

पर्चाडिक्री दिनांक 19.02.2025

तहसीलदार किशनगढबास द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव/कुर्रे कायमी रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:–

क0सं0	काश्तकार का नाम	ख0नं0	रकबा
1.	रामहेत सिंह यादव पुत्र छुट्टनलाल यादव जाति अहीर सा0देह खातेदार	608/1 598/1 किता 2	0.1937हे0 0.1010हे0 कुल 0.2947हे0
2.	रहमान खां पुत्र चन्दर जाति मेव सा0देह खातेदार राहिन आरजीबी किशनगढबास	608/5 599/3 किता 2	0.4650हे0 0.2425हे0 कुल 0.7075हे0
3.	हुसैन खां पुत्र चन्दर जाति मेव सा0देह खातेदार राहिन हि0 6/7 एसबीबीजे कि0बास	608/4 598/3 599/1 किता 3	0.5426हे0 0.2480हे0 0.035हे0 कुल 0.8256हे0
4.	इन्नस खां, साहबुदीन पि0 नजीर खां जाती मेव सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 4/5 राहिन ओबीसी कि0बास	608/2 598/2 किता 2	0.1937हे0 0.1010हे0 कुल 0.2947हे0
5.	आसमोहम्मद, इरफान, दीनमोहम्मद, मुनफीद पि0 फजरू खां, असपीना, असमीना, रूकसीना, रसमीना, वईमन पुत्रियां फजरू खां, मकूली पत्नि स्व0 फजरू खां जाति मेव सा0देह खातेदार हि0 आसमोहम्मद, इरफानसस, दीनमोहम्मद, मकूली राहिन ओबीसी कि0बास	608/3 599/2 किता 2	0.4650हे0 0.2425हे0 0.7075हे0

आराजी ख0नं0 571 रकबा 0.06हे0 गै0मु0 रास्ता यथावत् शामिल में रहेगा।

अतः आदेश है कि:–

दावा वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास अंतिम डिक्री किया जाता है तथा ओदश दिये जाते है कि तहसीलदार किशनगढबास द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव/कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)